प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

22 मार्च 2021

यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज यूनिवर्सल बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी) के सदस्यों के नामों की घोषणा की। एसईएसी की संरचना है:

1.	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक	अध्यक्ष
2.	सुश्री रेवती अय्यर, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य
3.	श्री बी. महापात्रा, पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और वर्तमान में अध्यक्ष, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई)	सदस्य
4.	श्री टी.एन . मनोहरन, पूर्व अध्यक्ष , केनरा बैंक	सदस्य
5.	श्री हेमंत जी. कोंट्रेक्टर, पूर्व एमडी, भारतीय स्टेट बैंक और पूर्व अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए)	सदस्य

समिति को सचिवीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा।

यह स्मरण किया जाता है कि निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिनांक 1 अगस्त 2016 के दिशानिर्देश तथा निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए 5 दिसंबर 2019 के दिशानिर्देशों में यह दर्शाया गया था कि यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन शुरू में रिज़र्व बैंक द्वारा आवेदकों की प्रथम दृष्टया पात्रता सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। यह भी सूचित किया गया था कि बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुभव वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली एक स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (एसईएसी), उसके बाद के आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और रिज़र्व बैंक द्वारा एसईएसी के गठन की घोषणा की जाएगी। इस एसईएसी का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1282